बारब्रिक प्रोजेक्ट की याचिका वापस लेने की दी अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे वापस लेने की अनुमति तो दी, लेकिन कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि बिलासपुर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी और इसके बाद इसे सरकारी विशेष विद्यालय (बौद्धिक दिव्यांग बालिकाओं के लिए) गगनपुर, अंबिकापुर को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

याचिका में कंपनी ने राज्य शासन द्वारा 15.26 करोड़ रुपये की बिड सिक्योरिटी राशि रोके जाने को चुनौती दी थी और उसे वापस दिलाने की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील ने यह कहते हुए याचिका वापस लेने की प्रार्थना की कि वे उचित प्रार्थना पत्र और विस्तृत तथ्यों के साथ पुनः याचिका दायर करेंगे। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति तो दी, लेकिन यह भी कहा कि बिना उचित तैयारी के ऐसी याचिका दाखिल कर अदालत का कीमती समय बर्बाद किया गया है। इसी कारण कंपनी को 25 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया गया।

● फाइल फोटो